रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1999/फाल्गुन 18, 1920

No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1999/PHALGUNA 18, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1999

का.आ. 152(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखण्ड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गए 305 करोड़ रुपये (तीन सौ पांच करोड़ रुपये मात्र) प्रत्येक 20,000/- रुपये की धनराशि के 7 वर्षीय, 10.5% करमुक्त (2004-VIIवीं श्रृंखला) प्रतिभूत मोचनीय बंधपत्रों, जिनकी विशिष्ट सं. 1 से 152500 है, को उक्त मद के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

बशर्ते कि उक्त मद के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम और संपत्ति को उक्त निगम के पास पंजीकृत कर देता है।

[अधिसूचना सं-10822/फा. सं. 178/23/97-आ.क.नि.-I]

समर भद्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 1999

S.O. 152(E).—*In exercise of the powers conferred by* item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby specifies 7 years 10.5% tax-free (2004-VIIth Series) secured redeemable bonds of Rs. 20,000/- each for an amount of Rs. 305 crores (Rupees three hundred five crores only) bearing distinctive numbers from 1 to 152500 issued by Power Finance Corporation Limited for the purpose of the said item.

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 10822/F. No. 178/23/97-ITA-I]

SAMAR BHADRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054